न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा ॥म0प्र0॥

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE INDIA Rs.10 रुपये TEN RUPEES

y
19-6-12

1. राजकुमार, ॥ तनय झुरू कुम्हार सा0 ओवरी तहसील देवसर जिला सिंगरौलीम0प्र
2. रामलल्लू ॥
— आवेदकगण

बनाम

R. 2022-I/12

म0प्र0 शासन - अनावेदक

अधिवक्ता श्री जी.पी.शर्मा
द्वारा प्रस्तुत।
दिनांक 31-5-2012

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील देवसर प्र. क्र. 189/अ6अ/11-12 आदेश दि0 13.4.12

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर, 31-5-12

निम्नांकित आधारो पर निगरानी पेश है:-

॥1॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी है।

॥2॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मूल अभिलेख तलब कराये ही पट्टा फर्जी मानकर निरस्त करने में कानूनी भूल की है।

क्रमांक 1689
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ... को प्राप्त
19.6.12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

॥3॥ यह कि ग्राम ओवरी की आ.नं. 2003/2 रकबा 1.00 हे. का पट्टा नायब तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र बरगवां तहसील देवसर जिला सीधी के द्वारा आवेदकगणों के नाम प्र. क्र. 631/अ19॥4॥/91-92 आदेश दिनांक 30.7.12 के द्वारा किया गया था जिसमें तहसीलदार देवसर द्वारा अपने समकक्ष अधिकारी के आदेश को बिना पुनर्वलोकन की स्वीकृत के खसरा सुधार के माध्यम से निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो काबिल निरस्तगी है। तथा दि0 1.5.12 से ग्राम ओवरी, सरई तह0 के अंतर्गत आने से ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

॥4॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया तथा दिनांक 30.3.12 को दिनांक 13.4.12 को पेशी दी गई व दिनांक 13.4.12 को पेशी पर दिनांक 20.4.12 पेशी दी गई थी तथा दिनांक 24.4.12 को पेशी पर बताया गया कि दिनांक 30.3.12 को ही आदेश हो गया है जिसकी नकल लेकर निगरानी समय सीमा के अंदर है।

(40)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी – 2022–एक / 2012 जिला–सिंगरौली

राजकुमार कुम्हार विरूद्ध शासन(म0प्र0)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–06–2018	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम.के. अग्निहोत्री उपस्थित हुये, उन्हें कायमी पर सुना गया । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया । तहसीलदार देवसर के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि पर आवेदक की फर्जी प्रविष्टी को निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने का आदेश दिया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती। अतः प्रकरण में ग्राह्य के पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है 3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य 21/6/18	